भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 862
07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

खर्च न की गई एमपीलैड धनराशि

862. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 16वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) की खर्च न की गई धनराशि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी कर दी गई है;

(ख) कितने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समय पर धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है ताकि 17वीं लोक सभा के पूरा होने से पहले निधियों का उपयोग किया जा सके?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एमपीलैड योजना के तहत निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और यह निधि से संबंधित मानदंडों को पूरा करने तथा जिला अधिकारियों द्वारा निधि से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है [यानी नवीनतम एमपीआर, समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र]। 16वीं लोकसभा के संबंध में, 114 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एमपीलैड योजना के तहत धनराशि जारी की जानी बाकी है।

(ग) सरकार द्वारा 01.04.2023 से लागू नवीन निधि प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत कार्यान्वयन जिला अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक समय के आधार पर केंद्रीय नोडल खाते से धनराशि निकाली जाती है।

इसके अलावा, क्षेत्र में एमपीएलएडी योजना का कार्यान्वयन जिला अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों और एमपीएलएडीएस दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। एमपीलैड्स दिशानिर्देश पैरा 3.2.4, पैरा 3.2.12 और पैरा 10.6.1 के तहत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रावधान करते हैं।

*****